न्यायालय श्री मान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर समक्ष कैम्प

रीवा म0प्र0

(20)

अजय कुमार पाण्डेय तनय श्री जुगुल किशोर पाण्डेय निवासी शिवराजपुर

तहसील नागौद जिला सतना म0प्र0

.... निगराकार

R 5170-II/15

बनाम

श्रीमती माया पयासी पत्नी बालमुकुन्द पयासी सा0 शिवराजपुर तहसील

नागौद जिला सतना म0प्र0 ... गैर निगराकार

निगरानी विरुद्ध न्यायालय नायब तहसील

वृत्त सिंहपुर तहसील नागौद जिला सतना के

प्रकरण क्रमांक 01/ए-12/13-14 पारित आदेश

दिनांक 20.10.2014

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू० राजस्व

संहिता 1959 ई0

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य

यह कि गैर निगराकार श्रीमती माया पयासी पत्नी श्री बालमुकुन्द पयासी

द्वारा ग्राम शिवराजपुर की आराजी 829/1, 829/2, 829/3, 867, 868/4,

869/4 का सीमांकन कराये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र

प्रस्तुत किया था, जिससे ग्राम शिवराजपुर का नक्शा विहीन होने के वजह

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निग0 5170–दो/2015 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश अजय कुमार पाण्डेय विरूद्ध माया पयासी	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4–11–2016	आवेदक अधिवक्ता श्री जसराम विश्वकर्मा उपस्थित। उन्हें प्रकरण में कायमी के बिन्दु पर सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से वही तर्क प्रस्तुत किए जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हे यहां पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन पर बिचार किया जा रहा है। निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं पर बिचार किया गया तथा निगरानी मेमो के संलग्न आक्षेपित आदेश की प्रमाणित प्रति का भी अवलोकन अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि प्रकरण में मुख्य विवाद सीमांकन से संबंधित है। विवादित सीमांकन आदेश दिनांक 20.10.2014 के परिशीलन से यह स्पष्ट हो रहा है कि किया गया सीमांकन उभयपक्ष की सहमति के आधार पर ही किया गया है, ऐसी स्थिति में आक्षेपित आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः विचारोपरांत प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं समुचित आधार न होने से यह निगरानी प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। प्रकरण दा.रि.हो। सदस्य	